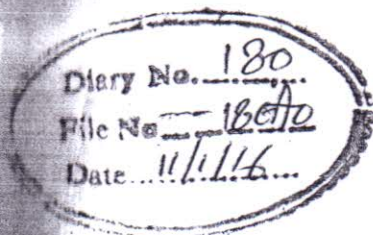


आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पन्तगौंव-चमड़खान-सैलापानी मोटरमार्ग का (सिमलधार से सैलापानी) तक विस्तार हेतु प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 2814/18 सी. दिनांक 01-12-201 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव पर तहसीलदार, सल्ट के पत्रांक 120/8000000-प्र0/2015, दिनांक 30-11-2015 के द्वारा क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों सहित उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु मसिणयाबॉज, पटवारी क्षेत्र-झिमार, तहसील-सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-85 की श्रेणी-10(4) "ब0नाका0आ0" के पैमायसी खेत न0 456 रक्बा-3.072 है0, खेत न.0-441 मध्ये-0.798 है0, इस प्रकार कुल 3.870 हैक्टर सिविल भूमि को उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट क0 तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करके उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।



वृक्षारोपण
सुबक

ह0/-
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 1945/ग्यारह- /2015-16, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत ।
उप जिलाधिकारी, सल्ट जनपद-अल्मोड़ा ।
तहसीलदार, सल्ट को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

4719ली संख्या 18010
झिमार क्षेत्र

(Signature)

प्रभारी अधिकारी,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
8/12